

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 131] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 1980/चैत्र 12, 1902

No. 131] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 1980/CHAITRA 12, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1980

का. आ. 237(अ) :—गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948(1948 का 9) की धारा 5(क) की उपधारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, कलकत्ता के अध्यक्ष श्री एम्. आर. दास को कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड में श्री आर. एच. एम्. डि. बिल्ला, उपाध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन न्यास के स्थान पर इसका अध्यक्ष नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन

पक्ष) की अधिसूचना संख्या का. आ. 148(ड), दिनांक 27 जनवरी, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

- (1) “केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य” शीर्ष के अन्तर्गत मद 1 के सामने प्रविष्टि “उपाध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता” के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् :—

“अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता ।”

- (2) पैस-2 के स्थान पर निम्नलिखित राखा जाए, अर्थात् :—

2. कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता के अध्यक्ष श्री एस. आर. दास को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नामित करती है ।

एल.डी.सी./34/78-एल.-3]

बी. बी. महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 1980

S.O. 237(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) and (4) of Section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri S. R. Das, Chairman, Calcutta Port Trust, as a member of the Calcutta Dock Labour Board, vice Shri R.H.M. D'Silva, Deputy Chairman, Calcutta Port Trust, and also nominates him as the Chairman of the said Board and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 148(E), dated the 27th January, 1978, namely :—

In the said notification :—

- (i) under the heading “Members representing the Central Government” against item 1, for the entry, “The Deputy Chairman, Calcutta Port Trust, Calcutta”, the following entry shall be substituted, namely :

“The Chairman, Calcutta Port Trust, Calcutta”.

- (ii) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely :—

“2. The Central Government hereby nominates Shri S. R. Das, Chairman, Calcutta Port Trust, as the Chairman of the said Board.”

[F. No. LDC/34/78-LIII]

B. B. MAHAJAN, Jt Secy.